न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 59/2020 (2020/00214)

1. सम्पत लाल पुत्र रूपा उर्फ रूपचन्द जाति लोहार निवासी प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. विष्णु उर्फ छोटू पुत्र शान्ति लाल जाति लोहार निवासी प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. शान्ति लाल पुत्र महेशचन्द जाति लोहार
3. लादी पत्नि महेशचन्द जाति लोहार
4. अशोक पुत्र महेशचन्द जाति लोहार
5. धीरज कुमार पुत्र महेशचन्द जाति लोहार
6. इन्द्रा पुत्री महेशचन्द जाति लोहार
   निवासीगण ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर,
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
श्री लक्ष्मीचन्द मीणा :– अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुनिल जैन :– अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 व 6

आदेश

दिनांक 19.05.2023

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
937–1052	3547	0.12	चाही 3
	3548	0.02	चाही 3
	4990	0.16	गै.मु.पाल
	4991	2.15	चाही 2
	4995	1.21	बारानी 2
	4996	0.05	गै.मु.पाल
	कुल किता 6	**कुल रकबा 3.71 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। उक्त आराजीयात के सटाकर ही अप्रार्थीगण की आराजीयात है जो आये दिन प्रार्थी से उक्त भूमि के सम्बन्ध में सीमा विवाद करते रहते है। दिनांक 20.06.2020 को प्रार्थी बिजयनगर से आये थे और अपना खेत सम्भालने के लिए गये थे तो अप्रार्थी संख्या 1 गाली गलौच करते हुए आया तथा प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात पर अपना हक जमाने लगा और गन्दी गन्दी गालिया निकाली और पाल पर लकडिया गाडकर तारबन्दी कर रखी थी जिसको हटाकर फेक दिया और धमकी दी कि जो करना है कर लो बाड फेसिंग मेने हटा दी है अगर अब इस तारबन्दी वापस की तो दुबारा तोडकर फेक दूंगा और

तारबन्दी की तो हाथ पैर तोडकर जान से खत्म कर दूंगा जबकि अप्रार्थी का उक्त आराजीयात पर कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 4988 है जिसका क्षेत्रफल 1.72 हैक्ट है जो दूसरे खसरे में है उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थी ही कब्जे काश्त करता चला आ रहा है व प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में सीमा विवाद होते रहते है। लडाई झगडा होता रहता है जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित उक्त आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश हुआ जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 1 से 4 जानकारी के अभाव में/गलत होने से अस्वीकार किया गया। पेरा संख्या 5 व 6 में वर्णित कथन कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही होना जाहिर किया। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हेरान व परेशान करने के लिए झूठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की तारबंदी को खुर्दबुर्द नही किया है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर कर पत्रावली में नोट अंकित किया एवं हस्ताक्षर किये। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को उजागर करते हुए प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 937–1052 में दर्ज खसरा संख्या 3547, 3548, 4990, 4991, 4995, 4996 किता 6 कुल रकबा 3.71 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी